

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरा संख्या2230 / 2015.....जिला.....भीलवाडा.....

उनवान—श्री अमित गोखरु पुत्र उगमसिंह गोखरु बनाम राज0 सरकार जरिये उपपंजीयक, भीलवाडा, व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

13.01.2016

एकलपीठ श्री बी के मीणा— अध्यक्ष

निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक मदनलाल गुर्जर एवं अप्रार्थी संख्या एक विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

निगरानी की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादित मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि निगरानीकर्ता द्वारा जमा करा दी गई है जिसकी मूल रसीद संलग्न है। निगरानी में प्रथम दृष्ट्या विधिक बिन्दु निहित होने से, निगरानी subject to limitation श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होने से, विवादित आदेशान्तर्गत की जाने वाली शेष मांग राशि की वसूली कार्यवाही आगामी आदेशों तक स्थगित रखी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की जावे। अप्रार्थीगण के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे बाद जांच जारी किया जावे। मिसल बाद कार्यवाही दिनांक 10.03.2016 को रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष पेश हो।

-३६२-

(बी के मीणा)

अध्यक्ष

निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा ऐनेटिक बोर्ड
का लाग छापू करने हेतु विद्वा छार्टर एवं
ऐसा किया है। पत्रावली वाले विद्वा छार्टर एवं
पर श्री चलुनवाली हेतु दिनांक ५-२-१६ को
इसके लगभग पेश है।

रजिस्ट्रार

राजस्थान दर बोर्ड

श्री जंगलवाल बड़दा, राजस्थान

05.02.2016

प्रार्थी के आदिकला ने राज सरकार की विशेष छठ योजना का लाग लेने
देकु निगरानी कापेल लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी को
श्री चलुनवाली घाटी है। योजना के क्षिक्षक श्री जमील जई को उ
आपत्ति नहीं है।

विद्वा श्री चलुनवाली द्वारा कर प्रार्थी का
निगरानी का प्राप्ति (Withdrawal) लेने की अनुमति दी जाती है। प्रार्थना पत्र
स्वीकृता है।